# प्रेस विज्ञप्ति

**31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की प्रास्थिति पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन**

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की प्रास्थिति पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 3 भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के प्रावधान के तहत तैयार किया गया है। यह प्रतिवेदन 13.08.2022 को राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

2017-21 की अवधि हेतु हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की प्रास्थिति पर निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए की गई थी कि क्या लाभार्थियों को योजना के दिशानिर्देशानुसार लाभ संवितरण किया गया था एवं लाभ संवितरण की प्रणाली (प्रणालियां) भारत सरकार द्वारा निर्धारित डीबीटी ढांचे के अनुरूप थी। निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु छः योजनाओं का चयन किया गया था: राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत तीन भारत सरकार की योजनाएं, अर्थात इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना; तथा तीन राज्य सरकार की योजनाएं, अर्थात वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन योजना एवं दिव्यांग राहत भत्ता। इन सभी चयनित छः योजनाओं को डीबीटी के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना था, तद्हेतु निर्धारित डीबीटी ढांचे के अनुक्रम में प्रक्रिया को रीइंजीनियरिंग किया जाना था।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के कार्यान्वयन में विभिन्न चरण/प्रक्रियाएं अंतर्व्याप्त थीं जैसे लाभार्थी आवेदन जमा करना, आवेदन की जांच, प्रक्रिया, पेंशन प्राधिकृत करना, भुगतान इत्यादि। चयनित सभी छः योजनाएं हस्तचालित एवं आईटी सिस्टम (सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली) दोनों को मिलाकर प्रयोग करते हुए कार्यान्वित की जा रही थी। प्रक्रियाएं जैसे आवेदन जमा करना, उनकी जांच, सत्यापन, फाइल हस्तांतरण से सम्बंधित भुगतान आदेश, भुगतान प्रक्रिया की प्रतिक्रिया इत्यादि हस्तचालित रूप से की जा रही थी। 2008 से आवेदन प्रक्रिया एवं प्राधिकरण "ई-कल्याण" नामक आईटी सॉफ्टवेयर पर किया जा रहा था; यह अक्तूबर 2020 तक एक क्लाइंट-सर्वर सॉफ्टवेयर था (सॉफ्टवेयर को स्थानीय स्तर पर प्रयोग किए जाने वाले जिला स्तर पर स्वतंत्र सिस्टम पर होस्ट किया गया था), इसे वेब आधारित एकीकृत सॉफ्टवेयर में अद्यतन किया गया था (सॉफ्टवेयर को इन्टरनेट पर होस्ट किया गया था एवं इसे विभिन्न प्राधिकृत प्रयोक्ताओं द्वारा ऑनलाइन प्रयोग किया गया था)।

यह पाया गया कि कार्यान्वयन डीबीटी ढांचे के अनुरूप नहीं था - कई प्रक्रियाएं जिन्हें आईटी सिस्टम के प्रयोग से करना अपेक्षित था, हस्तचालित रूप से की जा रही थी; इसके अतिरिक्त की जा रही हस्तचालित प्रक्रियाओं में योजना दिशानिर्देशों से विचलन पाया गया।

है। विभाग द्वारा लागू की गई प्रक्रिया डीबीटी ढांचे के अनुरूप नहीं है, जिसमें लाभार्थियों को सीधे लाभ अंतरण शामिल होना चाहिए। वर्तमान प्रक्रिया को लाभ अंतरण कहा जा सकता है, परन्तु "प्रत्यक्ष" लाभ अंतरण नहीं क्योंकि निधियां लाभार्थियों को सीधे अंतरित नहीं की जाती (जैसा कि कुछ अन्य राज्यों/भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है), अपितु निधियां जिला कल्याण अधिकारियों के बैंक खाते में अंतरित कर दी जाती हैं तथा उसके बाद लाभार्थी बैंक खातों में आगामी अंतरण हेतु चेक जारी किए जाते हैं।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किए गए कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नवत हैं :

- यद्यपि 2017-21 के दौरान कल्याणकारी योजनाओं हेतु सूचना, शिक्षा व संचार गतिविधियों पर ₹ 0.88 करोड़ व्यय किया गया, तथापि पात्र व्यक्तियों को शामिल न किया जाना देखा गया।

- नमूना-जांचित 11 ग्राम पंचायतों (तहसील कल्याण अधिकारियों अर्की, मंडी-सदर तथा शिमला ग्रामीण के अंतर्गत) के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले 826 घरों में इन परिवारों के 29 व्यक्ति (बीपीएल) 60 वर्ष से अधिक आयु होने के बावजूद किसी भी योजना में शामिल नहीं किए गए थे।

- सक्रिय आवधिक सर्वेक्षणों अथवा क्षेत्रीय कार्यालयों से पात्र जनसंख्या का श्रेणी-वार या आयु-वार डेटा/जानकारी प्राप्त कर डेटाबेस अनुरक्षित नहीं किया गया। जिसके अभाव में पेंशन हेतु आवेदन करना पूर्ण रूप से लाभार्थियों या ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों पर निर्भर था।

- प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लक्ष्य के प्रति लाभार्थियों के कवरेज में 4362 से 8519 के मध्य की कमी पाई गई।

- निधियां प्रासंगिक वित्तीय वर्षों की समाप्ति तक अव्ययित थीं एवं आवेदक प्रतीक्षा-सूची में थे। चयनित तीन जिलों (मंडी, शिमला व सोलन) में ₹ 12.34 लाख से ₹ 1436.87 लाख तक की निधियां सम्बंधित जिला कल्याण अधिकारियों के बैंक खातों में अव्ययित थीं।

- पेंशन मामलों पर अंतिम निर्णय लेने हेतु समयावधि निर्धारित नहीं की गई थी। 2017-21 के दौरान अस्थायी रूप से हटाए जाने के लिए लाभार्थियों के सत्यापन में विलम्ब के कारण हर वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 23,442 व 43,026 के मध्य तक मामलों की भारी संख्या एवं सक्रिय पेंशनभोगियों की सूची में प्रतीक्षा-सूची के आवेदकों को लाना लंबित था।

**प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ढांचे का अनुपालन**

- डीबीटी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था क्योंकि क्लाइंट सर्वर-आधारित ई-कल्याण को डीबीटी ढांचे के अनुरूप रीइंजीनियर नहीं किया गया था। संवितरण प्रक्रिया ई-कल्याण सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत नहीं थी एवं इसमें मैनुअल हस्तक्षेप शामिल था। आधार या किसी अन्य विशिष्ट आईडी वाले लाभार्थियों की विशिष्टता सुनिश्चित नहीं की गई थी।

- डीबीटी भुगतान हेतु मानक संचालन प्रक्रिया में निहित मार्गदर्शक सिद्धांतों जैसे राज्य कोषागार/डाक विभाग/बैंकों के साथ इंटरफेस, सत्यापन, पीएफएमएस के माध्यम से वितरण (राज्य योजनाओं के मामले में) तथा प्रतिक्रिया (फीडबैक) तंत्र का अनुपालन नहीं किया गया था।

**सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया**

- ई-कल्याण साफ्टवेयर में प्रविष्टि की पुनरावृत्ति की जांच/पता लगाने की कार्य क्षमता नहीं थी/ प्रदान नहीं की गई थी।

- अपेक्षित प्रमाणपत्रों के बिना अपूर्ण आवेदन पत्र (17 प्रतिशत) एवं लाभार्थियों के आवेदनों पर प्रक्रिया व सत्यापन में विलम्ब के उदाहरण देखे गए थे।

- ई-कल्याण साफ्टवेयर के विश्लेषण से लाभार्थियों के चयन में अनियमितताएं तथा ₹ 47.24 लाख का दोबार/अधिक भुगतान उजागर हुआ, जो विभागीय प्राधिकारियों द्वारा निगरानी की कमी को इंगित करता है।

- मृत लाभार्थियों (9196 लाभार्थियों में से 255 मामले) को पेंशन का संवितरण ₹ 60.73 लाख के अनियमित भुगतान में परिणत हुआ।

- 59 ग्राम पंचायतों में ई-कल्याण साफ्टवेयर में पेंशनभोगियों के अभिलेखों के साथ पंचायत स्तर के मूल अभिलेखों के प्रति-सत्यापन से इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन एवं वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 776 लाभार्थियों की आयु में भिन्नता, 63 न्यूनायु लाभार्थियों के चयन के मामले उजागर हुए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 55.21 लाख का अनियमित भुगतान हुआ।

- डाक विभाग के माध्यम से पेंशन के भुगतान में कमियां थीं जैसे पात्र लाभार्थियों को द्वार पर लाभ का वितरण न होना, अपेक्षित प्रमाणपत्र प्राप्त न करना तथा पेंशन के भुगतान हेतु मनीऑर्डर पद्धति का उपयोग।

- विभाग, डाक प्राधिकारियों एवं ग्राम पंचायतों के मध्य समन्वय का अभाव था जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत अपात्र होने वाले लाभार्थियों के विषय में जानकारी साझा नहीं की गई।

**इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लिकेशन का विश्लेषण**

- सरल प्रबंध एवं ई-कल्याण सॉफ्टवेयर के उपयोग हेतु सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर डिजाइन डाक्यूमेंट्स, उपयोगकर्ता नियमपुस्तिका एवं सिस्टम नियमपुस्तिका राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र-हिमाचल प्रदेश द्वारा तैयार नहीं की गई।

- ई-कल्याण तक अनधिकृत अभिगम्यता रोकने के लिए बुनियादी जांच एवं ई-कल्याण में दर्ज किए गए डेटा का स्वतः सत्यापन उपलब्ध नहीं था।

- सॉफ्टवेयर को अन्य विद्यमान मॉड्यूल जैसे पंचायत के ई-परिवार पोर्टल एवं वास्तविक समय लाभार्थी के सत्यापन व पेंशन संवितरण की स्थिति के लिए डाकघर / बैंक पोर्टल के साथ एकीकृत नहीं किया गया था।

- वेब आधारित ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में विगत तिमाहियों की रिपोर्ट उत्पन्न करने एवं अंतिम उपयोगकर्ता तक अभिगम्यता की सुविधा प्रदान नहीं की गई थी।

**प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की संरचना एवं प्रबंधन**

- डीबीटी प्रकोष्ठ विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने तथा विभिन्न योजनाओं में डीबीटी को लागू करने के उसके कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा था। डीबीटी ग्रहण करने में विभिन्न विभागों का मार्गदर्शन एवं निगरानी करने के लिए सलाहकार बोर्ड की बैठकें आयोजित नहीं की गई।

- डीबीटी प्रकोष्ठ ने राज्य के अधिकारियों को डीबीटी पर क्षमता निर्माण में प्रशिक्षण एवं सहायता प्रदान नहीं की।

- विभाग द्वारा आपूरित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत लाभ अंतरण के एवं राज्य डीबीटी पोर्टल में दर्शाए गए डेटा में भिन्नता थी।

- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनाओं में पीएफएमएस को विलम्ब के बाद प्रस्तुत किया गया; राज्य योजनाओं हेतु पीएफएमएस अभी तक शुरू नहीं किया गया।

- पीएफएमएस से ई-कल्याण में लेनदेन की पावती पुश करने की कोई व्यवस्था नहीं है। असफल लेनदेन हेतु ई-कल्याण में मैनुअल रूप से कारण दर्ज किए जाते हैं।

- आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के माध्यम से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पोर्टल के साथ पीएफएमएस एकीकृत नहीं होने के कारण राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पोर्टल राज्य में डीबीटी के माध्यम से शून्य लेनदेन प्रदर्शित कर रहा है।

**मानव संसाधन प्रबंधन एवं निगरानी**

- प्रत्येक संवर्ग में जनशक्ति की कमी थी (9 से 39 प्रतिशत के मध्य), जिससे राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के निर्विघ्न संचालन में बाधा उत्पन्न हुई।

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित अधिकारियों को उपयोगकर्ता मैनुअल एवं ई-कल्याण सॉफ्टवेयर की उपयोगिता एवं कार्य-क्षमता के संबंध में प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

- शिकायत निवारण एवं सामाजिक लेखापरीक्षा तंत्र स्थापित नहीं किया गया।